राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/भू.अ./एल.आर.सी./प–88/पार्ट–।।/07 / 3352-84 दिनांक 13-3-08

जिला कलक्टर,
समस्त (राजस्थान) ।

विषय :– साईबर कैफे के माध्यम से जमाबन्दियों की प्रतियॉ जारी करने हेतु लाईसेन्स दिये जाने बाबत ।

प्रसंग :– मण्डल का पत्र क्रमांक राम/भू.अ./एल.आर.सी./प–88/पार्ट–।।/ 07/ 2626–58 दिनांक 15.03.2007 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 7505–06 दिनांक 14.05.07 क्रमांकः 8796–827 दिनांक 19.06.07, क्रमांक 10036–67 दिनांक 30.07.2007

महोदय,

विषयान्तर्गत, साईबर कैफे के माध्यम से जमाबन्दियों की प्रतियां जारी करने हेतु लाईसेन्स जारी करने बाबत मण्डल के प्रासंगिक पत्र द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये है । कतिपय जिला कलेक्टरों द्वारा मार्गदर्शन चाहा है कि लाईसेन्स के नवीनीकरण हेतु विलम्ब से आवेदन कराने वाले लाईसेन्स धारकों के विरूद्ध पेनेल्टी अधिरोपित करने का क्या मापदण्ड रहेगा व कितनी पेनेल्टी अधिरोपित करनी चाहिये ।

इस संबंध में मण्डल स्तर पर निर्देशानुसार यह निर्णय लिया गया कि लाईसेन्स जारी किये जाने तथा लाईसेन्स के नवीनीकरण हेतु दिनांक 01.04.2008 से निम्न प्रकिया अपनाई जावें :–

1 लाईसेन्स धारकों की निरन्तर घटती संख्याओं को दृष्टिगत रखते हुए जिला मुख्यालय एवं अन्यत्र हेतु समान रूप से लाईसेन्स फीस 1000/– रूपये प्रति वित्तीय वर्ष हेतु ली जावे । यह फीस नये लाईसेन्स प्राप्त करने वाले साईबर कैफे व ई–मित्र कियोस्क धारकों से ली जा सकेगी ।

2 नये एवं पुराने लाईसेन्स धारकों से नवीनीकरण शुल्क 100/– रूपये प्रति वित्तीय वर्ष हेतु लिये जावेंगे ।

3 पेनल्टी अधिरोपित करने के ऐवज में जिन साईबर कैफे धारकों ने यथा समय नवीनीकरण नहीं कराया है उन्हे 30 दिन का समय देते हुए नोटिस दिया जावें । 30 दिन की अवधी में नवीनीकरण नहीं कराये जाने पर पुनः 30 दिन का अन्तिम स्मरण पत्र ओर दिया जावे । नोटिस संबंधी प्रकिया लाईसेन्स अवधि समाप्ति से पूर्व पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावें । यदि फिर भी निर्धारित अवधि में नवीनीकरण नहीं कराया जाता है तो लाईसेन्स निरस्त कर दिया जावे व इसकी सूचना जिले के डी.आई.ओ. को दी जावें ताकि इसके लागिंग व पासवर्ड निरस्त किये जा सके । उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा जिस लाईसेन्स धारक का लाईसेन्स निरस्त किया गया है, उन्हे अब नये सिरे से लाईसेन्स आवेदन करना होगा ।

4 जिले में पेन्डिंग म्यूटेशनों का सतत अपडेशन किया जाना सुनिश्चित किया जावें । ताकि "अपना खाता केन्द्रों" की वैब साईट में उपलब्ध जमाबन्दियों की सूचना एवं पटवारियों के पास/ तहसील में उपलब्ध रेकॉर्ड की सूचना में कोई अन्तर नहीं रह सकें ।

5 वर्तमान में लाईसेन्स धारकों को नकल देने की फीस 20/– रूपये प्रति पृष्ठ के लेने हेतु अधिकृत किया हुआ है जिसके स्थान पर नकल देने की कुल फीस " अधिकतम 20"/– रूपये निर्धारित की जाती है । प्रतियोगिता की दृष्टी से लाइसेन्स धारक इससे भी कम राशि ले सकेंगे। जिससे अधिक से अधिक काश्तकारों को लाभ हो सके ।

भवदीय,

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/सम/ 3385-94
दिनांक 13-3-08

प्रतिलिपि :–

1 संभागीय आयुक्त, समस्त (राजस्थान) ।

2 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड शासन सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

3 ए.सी.पी., राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को ई–मेल करने हेतु ।

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

LRC SS-3(1)113